# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

## पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

## पत्रावली संख्या : 175/12 (प्रा0पत्र)

## GCMS No. : 2012/00301

**अनवान्**

1. श्री कालका माता जी स्थान देह बासलिया शाश्वत नाबालिग जरिये संरक्षक पुजारी श्री रोडा पिता चेना गमेती निवासी बांसलिया तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुन्दरलाल पिता तेजसिंह दर्जी निवासी मावली तहसील मावली मृतक के बजाय :–
1/1 श्री दीनबन्धु पिता सुन्दरलाल दर्जी निवासी मावली तहसील मावली।
1/2 श्री नरेश पिता सुन्दरलाल दर्जी निवासी मावली तहसील मावली।
1/3 श्री सुरेश पिता सुन्दरलाल दर्जी निवासी मावली तहसील मावली मृतक के बजाय :–
1/3/1 श्रीमती गिरजा पत्नी सुरेश दर्जी निवासी मावली तहसील मावली।
1/3/2 श्री बन्टी उर्फ हर्ष पिता सुरेश दर्जी निवासी मावली तहसील मावली।
1/3/3 वीशाका पिता सुरेश दर्जी निवासी मावली तहसील मावली।
1/4 श्रीमती चन्द्रीबाई पत्नी सुन्दरलाल दर्जी निवासी मावली तहसील मावली।
2. श्रीमती चन्द्री पत्नी सुन्दरलाल दर्जी निवासी मावली तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री तुलसीराम डांगी/कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता विपक्षीगण।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक : 24.04.2026**

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बांसलिया तहसील मावली में आराजी नम्बर 0692 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा है, के सम्बन्ध में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पुरी आशा हैं। उक्त आराजी प्रार्थी कालका माता जी स्थान देह बांसिलया के खुदकाश्त की आराजी होकर जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट सम्वत् 1989 में प्रार्थी के नाम खुदकाश्त की हैसियत से दर्ज हैं। मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त झालमा वल्द भीमा भील प्रार्थी का पुजारी होकर सेवा पूजा करता चला आया है व उक्त आराजी पर काश्त करता चला आया हैं। पुजारी झालमा की मृत्यु

हो चुकी है तथा इस समय कालका माता जी स्थान देह की सेवा पूजा पुजारी रोडा पिता चेना जी गमेती कर रहा है तथा उक्त आराजी का उपयोग उपभोग भी रोडा कर रहा हैं।

2. यह कि अभी तारीख 27.05.2012 को विपक्षीगण उक्त आराजी पर आये व निर्माण कार्य हेतु नींवे खोदना शुरू किया जिस पर प्रार्थी ने बडी मुश्किल से रोका तो विपक्षीगण ने धमकी दी कि उक्त आराजी हमारे खातेदारी में दर्ज है। अतः इस पर हम निर्माण कार्य करायेंगे, आज नहीं करने दोंगे तो कभी भी निर्माण कार्य कर लेंगे। इसके बाद प्रार्थी ने पटवारी हल्का से जाकर तारीख 28.05.2012 को जमाबन्दी की नकल ली तो मालूम हुआ कि उक्त आराजी विपक्षीगण के नाम दर्ज है व इसके बाद पुराने रेकार्ड का पता कर मेवाड सेटलमेन्ट की नकल तारीख 02.07.2012 को दी जिसमें उक्त आराजी कालका माता जी स्थानदेह के नाम दर्ज है व विपक्षीगण के नाम यह जमीन कैसे आयी तो इसका कोई आधार नहीं हैं। उक्त आराजी विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने अपने नाम गलत इन्द्राज करा ली है व गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा विपक्षीगण ने तारीख 11.07.2012 को उक्त आराजी पर कारीगर, मजदूर लाकर नींवे खोदना शुरू कर दिया व पुजारी रोडा द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ व धमकी दी कि जमीन हमारे नाम पर दर्ज हैं। अतः हम इस पर नींवे खोदेंगे व नींव भरकर निर्माण कार्य करेंगे। ऐसी अवस्था में प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया है वरना विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त आराजी पर जबरन नींवे खोद निर्माण कार्य शुरू कर देंगे जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी पर जबरन नींवे खोद निर्माण कार्य नहीं करे, न कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करें, न जबरन कब्जा करें, न खुर्द बुर्द ही करें तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें, न अपने परिवार, एजेन्ट आदि से ही करावें। मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 2 द्वारा जवाब मय विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सेटलमेन्ट 1989 के इन्द्राज के आधार पर किया है जिसको करीबन 80 साल का अरसा हो गया है, 80 साल के अन्दर क्या परिवर्तन हुए प्रार्थी ने अपने वाद में इसका कोई उल्लेख नहीं किया हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना पत्र लेकर आता है उसको न्यायालय के समक्ष सारे वकात सही ढंग से पेश करना चाहिए था। प्रार्थी को यह बताना आवश्यक था कि सम्वत् 1989 के बाद किस सम्वत् में रेकार्ड से कालका माता का नाम हटाया गया

तथा कालका माता के बाद किसके नाम पर दर्ज हुआ जबकि सम्वत् 2013 से सम्वत् 2016 की जमाबन्दी में साबिक आराजी नम्बर 342 टेकचन्द, नानालाल पिता किशोर जी दर्जी साकिन मावली के नाम दर्ज थी, जिसको करीबन 56 वर्ष गुजर गये है व 56 वर्ष पहले यह जमीन टेकचन्द, नानालाल पिता किशोर चन्द दर्जी के नाम पर थी और उन्ही का कब्जा था। इसमें कहीं भी कालका माता का नाम नहीं है न जालम भील ही नाम है। इसके बाद सम्वत् 2023 की जमाबन्दी में भी यह आराजी टेकचन्द, नानालाल पिता किशोर के नाम पर दर्ज थी, यानि साबिक आराजी नम्बर 342 के नये नम्बर 692 पडे है वो सम्वत् 2023 से टेकचन्द, नानालाल पिता किशोर जी दर्जी के नाम पर ही दर्ज हुई। सन् 1964 से 1967 की जमाबन्दी में भी उक्त आराजी टेकचन्द पिता किशोर जी 1/2 तथा नानालाल की मृत्यु के बाद टेकचन्द जी का 1/2 हिस्सा व नाथु, उदा, भगवती, मनोहर पिता नाना के नाम पर दर्ज हुई उसके बाद टेकचन्द जी कि मृत्यु के बाद टेकचन्द जी का 1/2 हिस्सा रतनलाल, सुन्दरलाल, रूकमाबाई पिता टेकचन्द 3/8 और भगवतीलाल, श्यामलाल, उमाबाई, सुखीबाई, पुष्पाबाई पिता कालुलाल तथा धापुबाई पत्नी स्व. कालुलाल के 1/8 हिस्सा दर्ज हुई एवं नाथु, उदा, भगवती, मनोहर पिता नाना का 1/2 हिस्सा मुझ चन्द्रीबाई ने खरीद लिया इसलिए उक्त आराजी का नामान्तरण नम्बर 404 दिनांक 05.04.2009 से उक्त 1/2 हिस्सा मुझ चन्द्रीबाई के नाम दर्ज हो गया। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 485 दिनांक 10.02.2011 से हकत्याग द्वारा रतनलाल, रूकमाबाई पिता टेकचन्द जी व भगवतीलाल, श्यामलाल, उमाबाई, सुखीबाई, पुष्पाबाई पिता कालुलाल तथा धापुबाई पत्नी स्व. कालुलाल के बजाय उनका सारा हिस्सा मुझ प्रतिवादी नम्बर 1 सुन्दरलाल पिता टेकचन्द के नाम पर दर्ज हुआ। इस तरह आज से करीबन 56 वर्ष से ही टेकचन्द और नानालाल का नाम चलता रहा हैं और उस आधार पर ही मुझ चन्द्रीबाई व सुन्दरलाल ने विक्रय पत्र और हकत्याग के द्वारा यह आराजी नम्बर 692 तथा इसके साथ उनके खाते में जो दिग्गर आराजी 697, 698 व 699 रकबा 3 तीन बीघा कुलिया वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में मुझ सुन्दरलाल पिता टेकचन्द 1/2 व चन्द्रीबाई पत्नी सुन्दरलाल 1/2 के खातेदारी में दर्ज है, हम दोनो पति, पत्नी हैं। आराजी नम्बर 692, 697, 698 व 699 का मौके पर वर्तमान में एक ही चक है। 692 व 697 से 699 के मध्य में कोई बाड नहीं है चारो आराजी का एक ही चक होकर हमने इन चारों आराजी के एक ही चक में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कोट बना रखी है तथा हमारे इस आराजी के उत्तर में मावली से पलाना रोड जा रही है वर्तमान में इन चारो आराजी के एक ही चक में हमने फसल बोर रखी है, इनमें हमने मक्का, उडद और मिर्ची बो रखी है, इस प्रकार उक्त कुलिया आराजीयात हम विपक्षीगण के कब्जे काश्त में हो उक्त आराजीयात में हम विपक्षीगण द्वारा ट्यूबवेल भी खुदवाया गया है जिसका

उपयोग उपभोग हम विपक्षीगण विगत काफी समय से निर्बाध रूप से करते हुए आ रहे हैं। प्रार्थी ने जो सम्वत् 1989 को जो रेकार्ड पेश किया है उसके भी यह जमीन काफी पूजनार्थ बता रखी है इससे भी यह लगता है कि बाद में राज्य सरकार के आदेशानुसार कालका माता का नाम हटा दिया गया है। जैसा कि मुझ विपक्षीगण ने निवेदन किया कि मैने 56 वर्ष का रेकार्ड देखकर ही तथा मौके पर कब्जा देखकर हकत्याग व विक्रय पत्र लिखवाये हैं। इस तरह हम विपक्षी बोनाफाईड पर्जेचर हैं। आराजी नम्बर 692 पर कभी भी प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं रहा हैं तथा न ही आज कब्जा है उक्त आराजी खसरा संख्या 692 में हम विपक्षीगण द्वारा आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व कृषि कार्यों में उपयोग के लिए एक कमरे का भी निर्माण कराया था, जो कि समय के साथ पुराना होने व बारिस आदि की वजह से उसकी दिवाले व छत ढह गई है किन्तु वर्तमान में उक्त निर्माण की नींवे आज भी मौजूद है, इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्माण के समय भी किसी प्रकार का कोई उजर नहीं उठाया। प्रार्थीगण कुलिया आराजी नम्बर 692 को हमारी अन्य आराजी के साथ शामिल नहीं करने देते तथा 4–5 साल पूर्व इन चारो आराजी से तीन तरफ जो दीवाल बनाई उस समय भी प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का कोई आब्जेक्शन नहीं किया। इससे भी स्पष्ट है कि उनका आराजी नम्बर 692 पर कोई कब्जा कभी भी नहीं रहा है न ही वर्तमान में हैं। इस तरह प्रार्थी ने जानबुझकर के केवल न्यायालय को गुमराह करने की गरज से सम्वत् 1989 के बाद की क्या स्थिति है, इन वकातों को जानबुझ कर छिपाया है इसलिए प्रार्थी न्यायालय से किसी प्रकार की दया प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

4. **विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया** कि जब प्रार्थी का जमीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा ही नहीं है तो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र नहीं ला सकता हैं। हम विपक्षीगण लगातार 56 साल से खातेदारी काश्तकार की हैसियत से चलते आ रहे है ऐसी अवस्था में प्रार्थी खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र में यह बताना आवश्यक था कि सम्वत् 1989 के बाद किस साल व किस सम्वत् में यह जमीन कालका माता के नाम से हटी व किसके द्वारा हटाई गई क्यों हटाई गई। ये सब प्रश्न इस मुकदमें के लिये आवश्यक थे जिनको प्रार्थी ने छिपा कर के न्यायालय में महज एक इन्ट्री 80 साल पूर्व की पेश करके यह गलत दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया हैं और प्रार्थी इन चीजो को बिना बताये यह दावा व प्रार्थना पत्र लगाया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं।

5. यह कि मुझ वादी/प्रार्थी सुन्दरलाल ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् विपक्षी ग्राम पंचायत बांसलिया एवं प्रेमजी पिता दल्ला जी भील, सज्जनसिंह पिता लालसिंह राजपूत सरपंच ग्राम पंचायत बांसलिया, नारायणलाल पिता

कन्ना डांगी निवासी रेड, उप सरपंच, ललितसिंह पिता देवीलाल बडगुर्जर, सचिव ग्राम पंचायत बांसलिया के विरूद्व इस आशय का पेश किया था कि मुझ वादी/प्रार्थी की आराजी नम्बर 692 व रास्ते की जमीन आराजी नम्बर 688 में विपक्षीगण/प्रतिवादीगण दुकान निर्माण करना चाह रहे थे उसको रोकने के लिए पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 37/2000 वाद है तथा उसी में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 20/2000 है जिसमें दिनांक 07.05.2001 को तत्कालीन सहायक कलेक्टर सा. डॉ. एस.पी.सिंह सा. ने मुझ प्रार्थी का धारा 212 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और विपक्षीगण के विरूद्व यह आदेश जारी किया कि मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे आराजी नम्बर 692 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में वे किसी प्रकार का अतिक्रमण आधिपत्य करने की चेष्टा न करें, प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा न करें, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने की चेष्टा करें।

6. यह कि उस मुकदमे में जो काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था वो काउन्टर क्लेम विपक्षीगण ने स्वयं प्रस्तुत किया है उससे ग्राम पंचायत तथा उस समय के सरपंच, उपसरपंच, सचिव इत्यादि पक्षकार थे जो सारे गांव का प्रतिनिधित्व करते है उस काउन्टर क्लेम के खारिज होने के बाद उसकी उन लोगों ने किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की ऐसी दशा में उसी विषय वस्तु को लेकर के अब जो ये वाद व प्रार्थना पत्र रोडा द्वारा पेश किया जा रहा है वह रेस ज्युडिकेटा की तारीफ में आता है क्योंकि रोडा भी ग्राम पंचायत के फूटस्टेप में आ जाता है ऐसी दशा में रोडा द्वारा किया गया वाद व प्रार्थना पत्र भी किसी हालत में चलने योग्य नहीं है इसलिए भी ये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें। अन्त में निवेदन किया कि प्रिार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर होने व मियाद से परे होने के कारण सव्यय खारिज फरमाया जावें व विपक्षीगण को अनावश्यक रूप से हैरान व परेशान करने की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रार्थी से विशेष हर्जा खर्चा दस हजार रूपया दिलाया जावें।

7. **प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 के जवाब व विशेष कथन की जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि** विपक्षीगण का यह कहना गलत है कि विवादित आराजी के खातेदार टेकचन्द, नानालाल पिता किशोर जी दर्जी हो व यह कहना भी गलत है कि नाना के वारिसान नाथू, उदा, भगवती, मनोहर से 1/2 हिस्सा, विपक्षी नम्बर 2 चन्द्रीबाई ने खरीदा हो बल्कि विवादित आराजी प्रार्थी कालका माता जी स्थान दे हके खातेदारी व आधिपत्य की है, जिसे टेकचन्द, नानालाल को अपने नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है तथा टेकचन्द, नानालाल के नाम किस आधार पर व कैसे दर्ज हुई हैं। इसका कोई आधार नहीं है, न टेकचन्द नानालाल व इनके वारिसान को विक्रय करने का कोई

अधिकार नहीं है यदि विपक्षी नम्बर 2 के पक्ष में कोई विक्रय पत्र निष्पादित कराया है तो वह फर्जी व नुमाईशी है व बिना अधिकार के हैं। उससे विपक्षी नम्बर 2 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थी के विरूद्व बेअसर व शून्य हैं। ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी नम्बर 2 के नाम गलत दर्ज कराई गई है जो भी प्रार्थी के विरूद्व बेअसर व शून्य हैं। टेकचन्द के वारिसान रतनलाल, रूकमाबाई पिता टेकचन्द जी व भगवतीलाल, श्यामलाल, उमाबाई, सुखीबाई, पुष्पाबाई पिता कालूलाल जी तथा धापुबाई पत्नी कालुलाल जी द्वारा उनका हिस्सा विपक्षी नम्बर 2 सुन्दरलाल पिता टेकचन्द को हक त्याग कर दिया हो गलत हैं क्योंकि विवादित आराजी टेकचन्द के खातेदारी व आधिपत्य की नहीं थी बल्कि प्रार्थी कालका माता जी स्थान देह के खातेदारी व आधिपत्य की है। टेकचन्द नानालाल के नाम किस आधार पर दर्ज हुई है इसका कोई आधार नहीं है तथा स्थान देह की भूमि किसी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है और यदि किसी ने गलत रूप से दर्ज करा भी ली है तो वह बिना अधिकार के होकर प्रार्थी के विरूद्व बेअसर व शून्य है तथा टेकचन्द जी व टेकचन्द जी के वारिसान का विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है, न इन्हे किसी को विक्रय करने व हक त्याग करने का अधिकार ही है तथा जो हक त्याग बताया जाता है वह बिना किसी अधिकार के कुटरचित व बनावटी है व प्रार्थी के विरूद्व बेअसर व शून्य हैं। ऐसे हक त्याग पत्र के आधार पर सुन्दरलाल के नाम दर्ज इन्द्राज बिना अधिकार के है व सुन्दरलाल को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। आराजी नम्बर 692, 697, 698, 699 पास पास में स्थित है। विपक्षीगण का यह कहना गलत है कि आराजी नम्बर 692 पर विपक्षीगण का काफी समय से निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग चला आ रहा हो व विपक्षीगण का यह कहना भी गलत है कि सरकार के आदेश से कालका माता का नाम हटा दिया गया हो बल्कि सरकार को भी कालका माता का नाम हटाने का कोई अधिकार नहीं है। कालका माता का नाम हटाने का सरकार को कोई आदेश नहीं है न ऐसा कोई आदेश प्रार्थी के मुकाबले में दिया गया हैं। विपक्षीगण बोनाफाईड परचेजर नहीं है विपक्षीगण यह जान रहे है कि विवादित भूमि प्रार्थी कालका माता जी स्थान देह की है व टेकचन्द, नानालाल व इनके वारिसान के नाम बिना अधिकार के गलत दर्ज हुई है। अतः विपक्षी बोनाफाईड परचेजर नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि जवाबुल जवाब रेकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।

8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 2 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी कालका माता जी स्थान देह बांसलिया के खुद काश्त की आराजी होकर जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट सम्वत् 1989 में प्रार्थी के नाम खुदकाश्त की हैसियत से दर्ज हैं। मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त झालमा वल्द भीमा भील प्रार्थी का पुजारी होकर सेवा पूजा करता चला आया है झालमा की मृत्यु हो चुकी है तथा इस समय कालका माता जी स्थान देह की सेवा पूजा पुजारी रोडा पिता चेना गमेती कर रहा है तथा उक्त आराजी का उपयोग उपभोग भी रोडा कर रहा हैं। विपक्षीगण का कथन है कि प्रार्थी कालका माता का संरक्षक पुजारी रोडा पिता चेना गमेती भील बना है परन्तु मौके पर कोई कालका माता का मन्दिर ही नहीं है तथा रोडा पिता चेना गमेती पुजारी भी नहीं हैं। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सेटलमेन्ट 1989 के इन्द्राज के आधार पर किया है जिसको करीबन 80 साल का अरसा हो गया है, 80 साल के अन्दर क्या परिवर्तन हुए प्रार्थी ने अपने वाद में इसका कोई उल्लेख नहीं किया हैं। विपक्षीगण लगातार 56 साल से खातेदारी काश्तकार की हैसियत से चले आ रहे है ऐसी अवस्था में प्रार्थी खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि पूर्व में कालका माता स्थान देह के नाम दर्ज होकर जालमा वल्द भीमा भील पुजारी के रूप में दर्ज था। जिसे जालमा द्वारा टेकचन्द, नाना पिता किशोर के पक्ष में विक्रय कर देने से टेकचन्द, नाना पिता किशोर के नाम 1/2–1/2 हिस्से से दर्ज हुई। नाना के फौत होने पर विरासत के आधार पर नाना के बजाय नाथु, उदा, भगवती, मनोहर पिता नाना के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज हुई। टेकचन्द फौत होने पर विरासत के आधार पर टेकचन्द के बजाय रतनलाल, सुन्दरलाल, रूकमाबाई पिता टेकचन्द 3/8 और भगवतीलाल, श्यामलाल, उमाबाई, सुखीबाई, पुष्पाबाई पिता कालु व धापुबाई पत्नी कालुलाल 1/8 हिस्से से दर्ज हुई। तत्पश्चात् नाथु, उदा, भगवती, मनोहर पिता नाना द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को

विपखी संख्या 2 चन्द्रीबाई को विक्रय कर दी एवं रतनलाल, रूकमाबाई पिता टेकचन्द व भगवतीलाल, श्यामलाल, उमाबाई, सुखीबाई, पुष्पाबाई पिता कालुलाल, धापुबाई पत्नी कालुलाल द्वारा विपक्षी संख्या 1 सुन्दरलाल के पक्ष में हकत्याग कर दिया जिससे वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज होना जाहिर होता हैं।

प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि कालका माता स्थान देह के नाम दर्ज होना बताकर पुजारी को भूमि हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होना बताकर घोषणा चाही गई हैं। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि का फर्दन–फर्दन हस्तान्तरण किया जाना प्रतीत होता हैं। इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1, 2 हस्तान्तरण करने से नहीं रोका जाता है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा परन्तु वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षी संख्या 1, 2 को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से रोका जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1, 2 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से नहीं रोका जा सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में आंशिक साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा बताया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में कालका माता स्थान देह के नाम दर्ज थी जिसे पुजारी को हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं था। न्यायालय का यह मामना है कि वादग्रस्त भूमि बाबत् प्रार्थी द्वारा घोषणा चाही गई है यदि वादग्रस्त भूमि का फर्दन फर्दन विक्रय, हस्तान्तरण होता रहेगा तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहा हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि का फर्दन–फर्दन हस्तान्तरण होना जाहिर आया हैं इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि का फर्दन–फर्दन हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी परन्तु वर्तमान

में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार है खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार है इसलिए विपक्षी संख्या 1, 2 को भूमि के उपयोग उपभोग से रोका जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1, 2 के साथ कुठाराघात होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में आंशिक सफल रहा हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

रहा प्रश्न पुजारी को जमीन बेचने का अधिकार है या नहीं ? उक्त बिन्दू को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता है। उक्त बिन्दू को मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किया जावेंगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित हुए हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी संख्या 1, 2 मूल वाद के निस्तारण तक मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068—71 की खाता संख्या 192 पर दर्ज आराजी नम्बर 692 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे, चूंकि विपक्षी खातेदार है इसलिए वादग्रस्त भूमि के सीमांकन व पशुओं से बचने हेतु दीवार व तारबन्दी के लिए किसी प्रकार की रूकावट नहीं हैं। प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि विपक्षीगण को काश्त करने से नहीं रोके। पशुपालन हेतु टीनशेड निर्माण एवं कृषि कार्य करने पर रोक नहीं होगी। साथ ही तहसीलदार मावली को भी आदेशित किया जाता है कि उक्त स्थगन मात्र आराजी नम्बर 692 पर प्रभावी है अन्य आराजीयात के नामान्तरकरण इस स्थगन के सन्दभ्र में नहीं रोकें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**